न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआर ए/46/2014

उनवान

1. श्रीमती सुन्दर बेवा सुवा रेबारी, निवासी झामाजी का समेलिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. हरदेव पिता दौला दरोगा निवासी चतरपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. कालू पिता दौरा दरोगा निवासी चतरपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. नारायण पिता दौला दरोगा निवासी चतरपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. अनोपी पत्नी दौला दरोगा निवासी चतरपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 21/2013 निर्णय एवं दिनांक 21.10.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री रणवीरसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गोपाल अजमेरा ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.8.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया/प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भादू तहसील माण्डल स्थित आराजी नम्बर 2935/2293 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया । उक्त आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। विपक्षीगण अवयस्क कृषि कार्य करने में असमर्थ है। फिर भी प्रार्थीया के आवेदन पर मजमे आम में कोई विचार नहीं किया , प्रार्थीया इसी गांव की मूल निवासी होकर कृषि कार्य करती है, तथा भूमिहीन कृषक है । भू आवंटन नियमों व उद्घोषणा की पालना नही की गई है। भूमि निजाई पर आज भी प्रार्थीया का कब्जा है। प्रार्थीया ने भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी अंग मेहनत कर धन राशि खर्च कर काबिलकाश्त बनाई। तथाकथित आराजी भू भाग पर प्रार्थीया का गत 20 वर्षो से भी अधिक समय से मुतवातिर कब्जा चला आ रहा है । भू आवंटन कमेटी ने इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया । अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर विपक्षीगण के किया गया भू आवंटन वाके ग्राम भादू तहसील माण्डल में स्थित खसरा नम्बर 2935/2293 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को निरस्त कराया जाावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने आराजी संख्या 2935/2293 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ग्राम भादू के आवंटन की उद्घोषणा कर आवंटन प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये । जिसमें अपीलाण्ट ने भी उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त होने से आवंटन कराने हेतु निवेदन किया । जिसकी अनदेखी कर अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन नहीं किया एवं रेस्पोडेण्ट्स को आवंटन किया। जो विधिसम्मत नही होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से दिनांक 4.1.2013 को वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर दी गई। उसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने आवंटन हेतु उद्घोषणा पत्र जारी किये जिसमें प्रार्थीया/अपीलार्थीया के आवंटन आवेदन की अनदेखी कर उसको नहीं सुनकर मनमकसूद तरीके से आवंटन किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार, माण्डल द्वारा दिनांक 10.7.2001 को मौका पर्चा बनाया जिसमें अपीलार्थीया के पति सुवा लाल का कब्जा होना बताया गया है। दिनांक 21.1.2013 को भी तहसीलदार साहब माण्डल से प्रतिवेदन मांगा गया उसमें भी मौका पर्चा मय प्रतिवेदन में अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त होना बताया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग विगत 20 वर्षो से अपीलाण्ट के पति व उनके देहावसान के उपरान्त अपीलाण्ट ही काबिज होकर काश्त कर रही है। अपीलाण्ट भूमिहीन काश्तकार होकर आवंटन की पात्रता रखती है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश नहीं देकर एवं न ही रेकार्ड का भलीभॉति अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया । राजनैतिक प्रभाव में आकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विधि व तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम भादू की अपीलार्थीया निवासी होकर भूमिहीन काश्तकार होकर पिछडा वर्ग की विधवा सदस्या होने से एवं कब्जा अपीलार्थीया का वादग्रस्त भूमि पर होने के कारण प्रथमतः आवंटन की पात्र अपीलार्थीया ही है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया । अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने एवं वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीया को आवंटन किया जाने का आदेश प्रदान करावे।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम भादूकी आराजी नम्बर 2935/2293 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रत्यर्थीगण को नहीं किया जाकर विपक्षीगण के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 4 के पति दौला जी दरोगा को दिनांक 4.1.1983 को कृषि प्रयोजन के लिए आवंटन किया गया था। प्रत्यर्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीया का कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी के आवंटन के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में भी अपीलें की गई थी। इसलिए अब अपीलार्थी को पुनः वादग्रस्त आराजी बाबत उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे। प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2009 पेज 177, आर आर डी 2012 पेज 306, आर आर डी 2007 पेज 480, डब्ल्यू एल सी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2008 पेज 225, आर आर डी 2008 पेज 125 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 2935/2293 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर उसका पुराने समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इसकी ताईद तहसीलदार, साहब की मौका रिपोर्ट से होता है। अपीलार्थीया आवंटन की पात्र है। इसलिए उसे वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया जाना चाहिये था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, द्वारा दिनांक 19.1.2013 को सम्यक रूप से उद्घोषणा जारी की गई थी। अपीलार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका पुराना कब्जा चला आ रहा है इसलिए वादग्रस्त भूमि का आवंटन किसी अन्य को नहीं किया जा सकता है। वैसे भी राजकीय सिवायचक बिलानाम भूमि पर यदि किसी का अतिक्रमण हो तो भी ऐसी भूमि को नियमों में आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी में माना जाता है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण होने से उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.1.2013 में आराजी नम्बर 2935/2293 को मौके पर पडत बताया है। जिससे अपीलार्थी का बीस वर्षो से काश्त करने का कथन स्वतः ही गलत सिद्ध हो जाता है।

10. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपीलार्थीया के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के नियमन करने का प्रश्न है । प्रार्थीया के परिवार में पहले से ही पर्याप्त कृषि भूमि है। जिससे अपीलार्थीया आवंटन की पात्र नहीं रह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2013 को यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)